



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30071 वर्ष 2026

रजत आर्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रांत गुप्ता, यावर मुख्तार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता ,कृष्ण गोपाल

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. श्री मुख्तार आलम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री विक्रांत गुप्ता, अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, श्री कृष्ण गोपाल, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक **रजत आर्य** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 869 सन् 2026, धारा 127(2), 352, 351(2), 74, 131, 115(2), 109 बी.एन.एस., थाना-बारादरी, जनपद-बरेली में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सूचनादाता और अभियुक्त दोनों ही पेशे से अधिवक्ता हैं। सूचनादाता, आवेदक के वरिष्ठ हैं। अभियुक्त-आवेदक ने विधि की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात हाल ही में सूचनादाता के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। दिनांक 03.07.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप इस प्रकार है कि अभियुक्त-आवेदक ने व्हाट्सएप समूह में सूचनादाता की पत्नी के संबंध में कुछ अश्लील पोस्ट की थी। सूचनादाता और उनकी पत्नी, जो उसी क्षेत्र में निवास करते हैं, अभियुक्त-आवेदक के माता-पिता, अर्थात् अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



सह-अभियुक्त संजय गुप्ता और माता के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभियुक्त-आवेदक के घर गए। उन्होंने उन्हें बातचीत करने के लिए घर के अंदर बुलाया, जिसके दौरान अभियुक्त-आवेदक हिंसक हो गया और गाली-गलौज करने लगा। जब सूचनादाता ने अभियुक्त के आचरण का विरोध किया, तो अभियुक्त-आवेदक ने लोहे की रॉड से सूचनादाता तथा उनकी पत्नी के सिर पर हमला किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दोनों को साधारण चोटें आईं, जिनमें एक चोट श्रीमती दीप्ति को तथा एक चोट सूचनादाता को आई। सूचनादाता को लगी चोट सिर पर है, जिसके संबंध में ऐसा कोई अनुपूरक चिकित्सीय प्रतिवेदन नहीं है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि वह फ्रैक्चर है। आगे प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त की माता को भी चोटें आईं और अभियुक्त-आवेदक की बहन ने सूचनादाता तथा उनकी पत्नी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है। अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध लगाए गए अन्य सभी आरोप सूचनादाता की पत्नी की मर्यादा भंग करने के संबंध में हैं, जो मात्र आपराधिक घटना को दूसरा रंग देने के लिए लगाए गए हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 03.07.2026 से जेल में निरुद्ध है और अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई।

4. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के कहने पर उसके पास से डंडे की बरामदगी हुई है। घटना में सूचनादाता तथा उनकी पत्नी दोनों को चोटें आई हैं। सूचनादाता को लगी चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंग, अर्थात् सिर पर है और इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

5. उक्त तर्कों का प्रतिवाद करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विशिष्ट आरोप लोहे की रॉड के प्रयोग का है, जबकि डंडा बरामद किया गया है, जिसकी बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति के बिना हुई है।

6. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान में रखा तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अभियुक्त-आवेदक की भूमिका, जवाबी प्रथम सूचना रिपोर्ट, कथित रूप से अभियुक्त-आवेदक के घर में हुई घटना तथा इस तथ्य पर विचार किया गया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है, जिससे अभियुक्त-आवेदक द्वारा अश्लील पोस्ट अपलोड किया जाना प्रदर्शित हो। इसके अतिरिक्त, मामले की क्रॉस प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा क्रॉस संस्करण है, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं।

8. अतः मामले के गुण-दोष को स्पर्श किए बिना, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. अभियुक्त/आवेदक को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2024) 10 एस सी सी 674]** और **जमानत देने की नीतिगत रणनीति [(2024) 10 एस सी सी 685]** में प्रतिपादित सिद्धांतों में की गई टिप्पणियों के दृष्टिगत।

10. अभियुक्त-आवेदक निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

25 अगस्त, 2026

शिवांगी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।